बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के विशेष संदर्भ में - राष्ट्र और राजनीति

राजनीति जब परमार्थ के लिए हो तो वह राष्ट्रीय एकता को सबल बनाती है लेकिन जब वही राजनीति स्वार्थों के लिए होने लगती है तो वह राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा करने लगती है। स्वार्थ से प्रेरित इस राजनीति ने ही आज इस राष्ट्र एवं लोकतंत्र को एक निजी कम्पनी में परिवर्तित कर लूटखसोट-, अराजकता एवं अलगाववाद का अड्डा बना दिया है। ऐसे लोगों के लिए राजनीति राष्ट्र से बढ़कर हो गई है। यही कारण है कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व आतंकवाद के सामने घुटनाटेक नीति का अनुसरण कर, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्र को अराजकता, अलगाववाद एवं आतंकवाद की आग में झोंकने में कोई संकोच नहीं कर रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस देश के राजनेताओं ने न्यायपालिका की भी अवमानना इस हद तक की है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा विदेशी नागरिकों वाले अधिनियम के संदर्भ में तथा उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से निकालने और चिन्हित करके देश से बाहर करने के निर्देश की अवहेलना करने के रूप में देखा जा सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में केन्द्र सरकार जैसा राष्ट्र विरोधी रवैया लगभग सभी राज्य सरकारों का भी है, यह सब जानते हुए भी कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ की समस्या आज भारतबांग्लादेश सीमा तक ही सीमित नहीं है। देश के - विभिन्न भागों मंे इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपितु अन्य दृष्टियों से भी सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। आज पूरे देश में लगभग चार करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। यह बात बांग्लादेश की सन् की जनगणना में 2001भी उजागर हुई है।

भारतीय मनीषा ने राष्ट्र को एक भूसांस्कृतिक इकाई के रूप में - स्वीकार किया है जिसमें एक जन, एक संस्कृति, एक विधान और एक निशान ही उस राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता की गारंटी होती है, लेकिन आज सत्ता लोभी राजनेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इस राष्ट्र को एक मुसाफिरखाना बना दिया है, जहाँ जब जिसकी मर्जी आये वह भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करे, राष्ट्र की एकता व अखण्डता को चुनौती दे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आज पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल व बिहार में भी जनसांख्यिकीय असंतुलन की खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। अवैध घुसपैठ के कारण ही बिहार के पूर्णिया, किसनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा आदि तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर आदि जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। असम की भी स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है। विधान सभा 126 क्षेत्रों में से लगभग विधान सभा में ये बांग्लादेशी घुसपैठिये जनप्रतिनिधियों के भाग्य 36 विधाता बन गये हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणांचल प्रदेश तथा मिजोरम में सन् के बीच जनसंख्या में कई गुनी अप्रत्याशित 2001 से सन् 1991 वृद्धि दर्ज की गई है। इन अवैध घुसपैठियों ने अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिये हैं तथा राशनकार्ड भी बनवा लिये हैं। आज पूरे देश में लगभग 20 विधान सभा क्षेत्रों में ये घुसपैठिये चुनाव परिणाम को 125 लोकसभा क्षेत्रों तथा प्रभावित करने की स्थिति में आ गये हैं। देश की राजधानी दिल्ली व आर्थिक राजधानी मुम्बई में इनकी संख्या लाखों में है, जो आए दिन न केवल राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा के लिए अपितु राष्ट्र के सामाजिकबाने के लिए -सांस्कृतिक ताने- भी खतरा बने हुए हैं। दिल्ली में लालकिले पर हुआफिदाईन हमला, गोरखपुर के शृंखलाबद्ध बम विस्फोट तथा प्रदेश के विभिन्न जगहों पर हुए बम विस्फोट आदि के पीछे इन बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की संलिप्तता उजागर हुई है।

भारत की सरकार आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर कितनी गंभीर है? बार-बार खुफिया एजेंसियों की इस चेतावनी के बावजूद कि आतंकी संगठन बांग्लोदश

और बांग्लादेशी घुसपैठियों को माध्यम बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, भारत सरकार के गृहमंत्री द्वारा इन अवैध घुसपैठियों के सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करना सम्पूर्ण प्रकरण की गम्भीरता को नकारने जैसा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में जिस प्रकार का रवैया केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अपना रही हैं वह राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होगा। अगर इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्त्वों और संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही केन्द्र व राज्य सरकार नहीं कर पा रही हैं तो उसके पीछे जनता का जागरूक न होना तथा नेतृत्व के अन्दर राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं संकल्पशक्ति का अभाव ही कहा जायेगा। यह सब इस देश की सत्तालोलुप विभाजनकारी राजनीति के कारण हो रहा है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति राष्ट्र के लिए है न कि राष्ट्र राजनीति के लिए।